

न-59

उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग-5

अधिसूचना

11 जुलाई, 2003 ई०

सं० 321/वित्त-5/स्टाम्प/2003-उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी की स्थापना हेतु सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, हल्द्वानी की 3.228 हेक्टेयर (7.973 एकड़) भूमि वन चिकित्सालय ट्रस्ट, हल्द्वानी पर प्रमार्य स्टाम्प शुल्क की छूट इस सीमा तक प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 321/Vitt-5/Stamp and Regn./2003, dated July 11, 2003 for general information :

NOTIFICATION

July 11, 2003

No. 321/Vitt-5/Stamp and Regn./2003--In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899), as amended from time to time in its application to Uttaranchal, the Governor is pleased to remit with Immediate Effect the stamp duty chargeable by the State Government of Uttaranchal in favour of Forest Trust Hospital, Haldwani for 3.228 Hectares (7,973 Acres) of land of Regional Agriculture Testing and Demonstration Station for the purpose of establishing Medical College in Haldwani.

By Order,

INDU KUMAR PANDE,
Pramukh Sachiv.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 26-07-2003, भाग-1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 35 वित्त/301-20-08-2003-50 (कम्प्यूटर/रीजियो)।